गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ द्वारा परीक्षा संबंधी सामग्रियों की ढुलाई हेतु किराये पर वाहनों को लिये जाने से संबंधित निविदा प्रपत्र का वित्तीय भावपत्र ।

1	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू0 100.00 (जो वापस नही होगा)
2	निविदा बेचे जाने की अवधि	दिनांक 05.12.2011 से 24.12.2011 तक प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक ।
3	निविदा डाले जाने/डाक/कोरियर/आन लाइन (इलेक्ट्रानिकली) भेजे जाने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 26.12.2011 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
4	निविदा डाले जाने का स्थान	विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के भण्डार कक्ष में रखे मोहरबन्द टेण्डर बाक्स में।
5	निविदा डाक/कोरियर से/ आन लाइन (इलेक्ट्रानिकली) भेजे जाने का पता	रजिस्ट्रार, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ। (इलेक्ट्रानिकली) By Email Address ustomer@up.nic.in
6	प्राप्त निविदाओं को खोले जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 26.12.2011 को अपरान्ह 3.30 बजे ।
7	निविदा कय करने वाले का पूर्ण विवरण	1. नाम .... 2. फर्म का नाम .... 3. पूरा पता .... 4. टेलीफोन नं0 .... 5. मोबाइल नं0 ....
8	निविदा बेचे जाने का दिनांक	
9	निविदा बेचने वाले का हस्ताक्षर एवं नाम	1. हस्ताक्षर .... 2. नाम ....

क0 से पृ0-2 पर

10. निविदादाता फर्में निम्न प्रारूप पर अपनी दरें अंकित करें:-

क्र0 सं0	परीक्षा सामग्रियाँ पहुँचाने का स्थान	वाहनों का प्रकार	कृपया निविदादाता फर्में स्तम्भ-3 में अंकित वाहनों की अपनी दरें कर सहित अंकों एवं शब्दों (दोनों) में अंकित करें	
			अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विश्वविद्यालय परिसर से लखनऊ जनपद में स्थित विभिन्न संस्थाओं तक एवं स्थानीय संस्थाओं से विश्वविद्यालय परिसर तक का	1. फुल ट्रक (नौ टन) 2. डी0सी0एम0 टोयटा (3 टन) 3. पिकअप (एक टन)		
2	लखनऊ जनपद के अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय परिसर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित प्राविधिक संस्थाओं तक एवं उक्त संस्थाओं से विश्वविद्यालय परिसर तक का	1. फुल ट्रक (नौ टन) 2. डी0सी0एम0 टोयटा (3 टन) 3. पिकअप (एक टन)		
3	विश्वविद्यालय परिसर से उत्तरांचल प्रदेश के जनपद देहरादून एवं रूड़की जनपदों में स्थित प्राविधिक संस्थाओं तक एवं उक्त संस्थाओं से विश्वविद्यालय परिसर तक का	1. फुल ट्रक (नौ टन) 2. डी0सी0एम0 टोयटा (3 टन) 3. पिकअप (एक टन)		

1. निविदाकर्ता का हस्ताक्षर ....
2. पूरा नाम ....
3. पता ....
   ....
4. टेलीफोन नं0 ....
5. मोबाइल नं0 ....
6. फर्म की मोहर ....

गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ द्वारा परीक्षा संबंधी सामग्रियों की ढुलाई हेतु किराये पर वाहनों को लिये जाने से संबंधित निविदा प्रपत्र का तकनीकी भावपत्र।

(अ) निविदा प्रपत्र के तकनीकी भावपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण

1. आयकर विभाग द्वारा निविदादाता फर्म को निर्गत (PAN) नं0 की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत, निविदादाता के चरित्र प्रमाण पत्र की मूल-प्रति ।
3. वित्त अधिनियम 1994 में निहित प्राविधानों के अनुसार किराये पर वाहनों को उपलब्ध कराये जाने से संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी का सेवाकर के रूप में केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग में पंजीकृत होने से संबंधी प्रमाण पत्र की स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित छायाप्रति ।
4. अर्नेस्ट मनी के रूप में रू0 1,00,000.00 का, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी, इस विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के नाम वंधित एक वर्ष की अवधि का, फिक्स डिपाजिट सर्टीफिकेट ।

उक्त प्रपत्रों के अभाव में निविदायें अमान्य होंगी ।

(ब) निविदा डाले एवं खोले जाने संबंधी निर्देश एवं नियम

1. कृपया निविदादाता द्वारा निविदा के दोनों बिडों अर्थात तकनीकी एवं वित्तीय बिडों के साथ तीसरा सील्ड लिफाफा जिसमें अर्नेस्ट मनी का स्टूमेन्ट रखा हो तथा जिस पर अर्नेस्ट मनी अंकित हो प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त तीनों लिफाफों को बड़े सील्ड लिफाफे में रख कर उस पर निविदा विवरण, प्राप्तकर्ता का नाम अंकित कर टेण्डर बाक्स में डालें, प्रत्येक लिफाफों पर सबसे ऊपर टेण्डर प्रकाशन सूचना संख्या तथा उसके नीचे यथास्थित बिड का नाम अंकित करें। लिफाफों को इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम सम्बोधित करें एवं प्रेषक के रूप में अपने फर्म का नाम एवं पूरा पता अंकित करें। संबंधित लिफाफे को भण्डार में रखे टेण्डर बाक्स में डाले।
2. निविदादाता अपनी निविदा के दोनों बिडों को निर्धारित तिथि एवं समय से इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय के भण्डार कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में डालें अथवा डाक विभाग या कोरियर से/आन लाइन (इलेक्ट्रानिकली) प्रेषित करें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
3. यदि कोई निविदादाता प्रश्नगत निविदा इस विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uptu.nic.in से डाउन लोड करके अपनी निविदा जमा करेगा या आन लाइन (इलेक्ट्रानिकली) प्रेषित करेगा, तो उसे निविदा प्रपत्र के मूल्य के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी इस विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के नाम रू0 100.00 का बैंक ड्राफ्ट, निविदा खोले जाने के एक दिन पूर्व इस विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में निविदा अमानय होगी ।

क0 से पृ0-2 पर

4. यदि कोई निविदादाता अपनी निविदा आन लाइन (इलेक्ट्रानिकली) प्रेषित करता है तो उसे निविदा के साथ वांछित, इस बिड के प्रस्तर (अ)-9 में दिये गये निर्देशानुसारश रू0 1,00,000.00 की अर्नेस्ट मनी, निविदा खोले जाने के पूर्व इस विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
5. निविदादाता अपनी दरों को वित्तीय बिड के प्रस्तर-10 में दिये गये प्रारूप में ही अंकित करें। अलग से संलग्न प्रपत्र पर अंकित दरों पर विचार नही किया जायेगा।
6. निविदादाता अलग से अपनी कोई शर्त एवं विशिष्टतायें न जोड़ें, क्योंकि सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. कोई भी अधिवक्ता, जो राज्य बार काउन्सिलिंग में पंजीकृत हों वह निविदा न करें, क्योंकि उसके द्वारा डाली गयी या प्रेषित की गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति निविदा कर्ता है और निविदा खेलने के पूर्व यह संज्ञान में नही आता है कि निविदादाता राज्य बार काउन्सिलिंग का सदस्य है तथा उसकी निविदा में अंकित दरों को इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है एवं उसके पश्चात यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. सर्व प्रथम प्राप्त निविदाओं के तकनीकी भावपत्र खोले जायेंगे तथा निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों आदि संलग्न पाये जाने, अर्थात उन्हें मानक के अनुरूप पाये जाने पर, प्राप्त निविदाओं के वित्तीय भावपत्र खोले जायेंगे।
9. जिस निविदादाता की निविदा में अंकित दर को इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जायेगा उस निविदादाता को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0 35097/2004 मेसर्स स्ट्रांग कन्सट्रक्शन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं जनपद फतेहपुर, में पारित आदेश दिनांक 22.3.05 के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची ए(ख) के अनुच्छेद-57 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशानुसार रू0 100.00 के जनरल स्टाम्प पेपर पर इस विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबन्ध, एक वर्ष तक अनुमोदित दर पर किराये के वाहनों की आपूर्ति करने का, इस शर्त के साथ करना होगा कि यदि उत्तर प्रदेश शासन सुप्रीम कोर्ट से जीत जाती है, तो फर्म अपनी जमानत की राशि पर रू0 70.00 प्रति हजार की दर से, शासनादेश सं0: ए-2-3591/ दस-82'10(15)/82 दिनांक 22.3.83 के अनुमान आपूर्ति लागत के दस प्रतिशत के समतुल्य जमानत राशि पर जमा करने का उत्तरदायी होगा।
10. यदि निविदादाता, जिसकी निविदा में अंकित दरों को इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, वह उक्त प्रस्तर ब-9 में अंकित निर्देशानुसार दरानुबंध नही करेगा तो उसके द्वारा अपनी निविदा के साथ जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
11. इस विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को निरस्त कर दें।

क0 से पृ0-3 पर

12. किसी भी विवाद की स्थिति में इस विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव

मैने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों, नियमों एवं शर्तो को भली भांति पढ़कर समझ लिया है/समझ लिये है और उक्त सभी शर्ते मुझे/हमें पूर्ण रूपेण मान्य है।

1. निविदाकर्ता का हस्ताक्षर ....
2. पूरा नाम ....
3. पता ....
....
4. मोहर ....
5. टेलीफोन नं0 ....
6. मोबाइल नं0 ....